बिहार विधान परिषद्

नेवा परियोजना कार्यान्वयन

प्रकाशनार्थ/प्रेस विज्ञप्ति

बिहार विधान परिषद् के कार्यकारी सभापति ने नेशनल ई-विधान (नेवा) परियोजना के कार्यान्वयन हेतु एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) निर्माण, वित्तीय स्वीकृति आदि की औपचारिक प्रक्रिया आरंभ करने की अनुमति प्रदान कर दी है ताकि परियोजना के लिए निर्धारित समय, जून, 2020 तक इसे क्रियान्वित किया जा सके। बिहार सरकार के संसदीय कार्य विभाग, वित्त विभाग एवं नेशनल इन्फोमेटिक्स सेंटस (एन.आई.सी.) बिहार स्टेट के अधिकारियों से हुई बैठक के बाद बताया कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी 'डिजिटल इंडिया प्रोग्राम' के तहत बिहार विधान परिषद् के लिए नेशनल ई-विधान (नेवा) परियोजना की स्वीकृति दी गई है। भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव द्वारा 12 मार्च, 2020 को बिहार विधान परिषद् सचिवालय को औपचारिक प्रकिया कर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

बिहार विधान परिषद् देश का प्रथम सदन है जहां नेवा परियोजना पूर्ण रूपेण सफल हुई थी। इससे पहले प्रायोगिक तौर पर हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2014 ई. में ई-विधान का परीक्षण आरंभ किया गया था। परियोजना के तहत सदन एवं सदस्यों से संबंधित सारे कार्य पेपरलेस किया जाना है। सदस्यों की सीट के आगे टच स्क्रीन कम्प्यूटर तथा सदन के अंदर बहुउपयोगी मॉनिटर लगाने की व्यवस्था की जाएगी। सदस्यगण अपने सभी प्रश्न, ध्यानाकर्षण, नोटिस एवं संकल्प आदि कम्प्यूटर के माध्यम से परिषद् सचिवालय को प्रेषित कर सकेंगे। तदनुसार, राज्य सरकार की ओर से भेजे जानेवाले सभी उत्तर, विधेयक, सदन पटल पर रखे जानेवाले दस्तावेज आदि नेवा के माध्यम से ही संपादित होंगे।

पूरे भारत के सभी सदनों के लिए नेवा परियोजना पर 673.94 करोड़ रुपए खर्च होना है जिसमें 423.60 करोड़ केन्द्रांश एवं 250.34 करोड़ रुपया राज्यांश होगा। केन्द्र एवं राज्य का औसत खर्च 60:40 का होगा।

प्रथम चरण में **बिहार, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब एवं सिक्किम** राज्यों का चयन किया गया है। बिहार विधान परिषद् के लिए परियोजना कार्यान्वयन हेतु जून, 2020 का समय निर्धारित किया गया है।

परियोजना का उद्देश्य माननीय सदस्यों को अपने संसदीय दायित्वों के निर्वहन में अधिक प्रभावशाली, पारदर्शी, एवं उत्तरदायी बनाना है। ई-डेमोक्रेसी के प्रथम चरण के रूप में इसे चिन्हित किया गया है। परिषद् की विधान निर्माण सहित समस्त संसदीय गतिविधियों को कम्प्यूटर के माध्यम से संपादित किया जाना है। द्वितीय चरण में ई-कंस्टिच्युएंसी परियोजना कार्यान्वित की जाएगी। इसका उद्देश्य संसदीय वादवृत्त की गुणवत्ता बढ़ाना भी है। माननीय सदस्यों, राज्य सरकार के अधिकारियों एवं विधान परिषद् के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं उत्क्रमण की व्यवस्था भी रहेगी। नेवा सेवा केन्द्र की स्थापना भी इसके अंतर्गत की जाएगी।

विधान परिषद् की कार्यवाही को सर्व सुलभ बनाने की दिशा में भी कार्रवाई की जाएगी। कालान्तर में संसदीय कार्यवाहियों में आम जनता की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

कार्यकारी सभापति की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वश्री ब्रजेश मेहरोत्रा, प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, राहुल सिंह, सचिव, व्यय, संजीव मित्तल, उप सचिव सह उप बजट नियंत्रक, वित्त विभाग, सुदेश कुमार लाल, उप सचिव सह नोडल पदाधिकारी, वित्त विभाग (विधायी कार्य), राजेश कुमार सिंह, एस.आई.ओ., एन.आई.सी., बिहार, परिषद् सचिवालय से श्री विनोद कुमार, कार्यकारी सचिव, श्री भैरव लाल दास परियोजना पदाधिकारी, श्री रमेश झा, अवर सचिव सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, श्री विश्वजीत कुमार सिन्हा, अवर सचिव, श्री अजीत रंजन, जन संपर्क अधिकारी आदि उपस्थित थे।